

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला राजस्व प्रशाखा)
आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा अंचल के मौजा वासुदेवपुर के दिल्ली मोड़ के निकट नवनिर्मित दरभंगा बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खुली आम डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 21.06.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। इस तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में उक्त डाक दिनांक 24.06.2019 को निर्धारित समय पर होगी। इसके पश्चात् भी डाक नहीं होने की स्थिति में दिनांक 27.06.2019 को निर्धारित समय पर उक्त डाक होगी। यह बन्दोबस्ती 01 जून, 2019 से 31 मार्च, 2020 के 12.00 बजे रात्री तक के लिए की जायेगी।

क्र०सं०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि (राशि रू० में)	जमानत की राशि (राशि रू० में) (सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत)	पुनरीक्षित पड़ाव शुल्क प्रति खेप (राशि रू० में)
1	2	3	4	6
1	मौजा-वासुदेवपुर में नवनिर्मित दरभंगा बस पड़ाव	74,82,500/- (वित्तीय वर्ष-2019-20 के माह जून 2019 से मार्च 2020 तक)। एक वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सुरक्षित जमा राशि मो०-89,79,000/- निर्धारित है।	7,48,250/- (वित्तीय वर्ष- 2019-20 के माह जून 2019 से मार्च 2020 तक)। एक वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सुरक्षित जमा राशि मो०-89,79,000/- निर्धारित है।	1. बस - 30/- (तीस) 2. मैक्सी/जीप अथवा इस श्रेणी की समतुल्य अन्य वाहन - 15/- (पन्द्रह) 3. ऑटो रिक्शा/टेम्पु - 5/- (पाँच)

बन्धेज एवं शर्तें

- डाक में वे ही व्यक्ति भाग लेंगे जिनके जिम्मे अथवा उनके परिवार के सदस्यों के जिम्मे किसी प्रकार का सरकारी राजस्व की बकाया राशि नहीं होगी। डाक वक्ताओं को इस आशय का शपथ पत्र डाक के पूर्व जमा करना होगा।
- डाक वक्ताओं को उक्त सैरात की सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि अर्थात् रू० 7,48,250/- का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, दरभंगा के नाम से देय हो डाक में भाग लेने के पूर्व जिला नजारत, दरभंगा में जमा करना होगा। सफल डाक वक्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि बन्दोबस्ती राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल डाक वक्ताओं द्वारा जमा की गई जमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल डाक वक्ता सैरात के बन्दोबस्ती के उपरान्त निबंधित एकरारनामा करने हेतु 5 प्रतिशत स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क जमा करना होगा तत्पश्चात् परवाना निर्गत किया जायेगा।
- डाक वक्ताओं को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के द्वारा छः माह के अन्दर निर्गत चरित्र प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अपना दो पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- बन्दोबस्ती अवधि के अन्तर्गत परिचालन वसूली में बाधा, बन्दी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि के दिनों के लिए बन्दोबस्ती की राशि में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
- डाक वक्ता संबंधित सैरात में डाक बोलने के पूर्व सैरात का स्वयं निरीक्षण कर लेंगे।

6. सफल डाक वक्ता के बन्दोवस्ती होने के दो दिनों के अन्दर बन्दोवस्ती की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। इस निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा करने पर उन्हें हमेशा के लिए काली सूची में डालते हुए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा तथा द्वितीय डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
7. सफल डाक वक्ता के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक के लिए इस सैरात हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूर्ण निर्धारित सुरक्षित जमा राशि के अनुपातिक रूप से बन्दोवस्ती की जायेगी।
8. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
9. डाक के शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा उच्चतम डाक वक्ता को डाक रद्द या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
10. डाक की बोली सुरक्षित जमा राशि से शुरू होगी। सैरात में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षित जमा राशि से कम की बोली लगाने पर उनके द्वारा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
11. आवेदक डाक हेतु आवेदन पत्र, वांछित कागजात एवं जमानत की राशि डाक के तिथि के पूर्व प्रतिदिन कार्यालय कार्य अवधि में एवं डाक तिथि को एक दिन पूर्व अपराहन 5 बजे तक जिला राजस्व शाखा दरभंगा में जमा करने के पश्चात ही भाग ले सकते हैं।
इसे बेवसाईट <http://darbhanga.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

३०/-
स मा ह र्ता,
दरभंगा।

ज्ञाप सं०.....१६५/रा० लहेरियासराय दिनांक.....०३.वी० ३१.२०१९

- प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सुरक्षा प्रबंध हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे जन सम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क कर दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करना सुनिश्चित की जाय।
- प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित की जाय।
- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

स मा ह र्ता,
दरभंगा।

३१/५/१९